राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : प–.....12/मुसप्र/नियमितिकरण/2017/528 दिनांक : 22/8/17

उप आवासन आयुक्त (समस्त),
आवासीय अभियन्ता (समस्त)
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त/खण्ड ....

विषयः– राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित/विक्रीत स्थावर सम्पतियों का अमुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर अन्तिम क्रेता के नाम नियमन करने तथा मुल आंवटन राशि पर देय स्टॉम्प ड्यूटी पर लीज डीड का पंजीयन करने की छूट बाबत्।

संदर्भः– राज्य सरकार द्वारा जारी पत्रांक प.3(313)नविवि/3/2011 दिनांक 22.06.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक मुसप्र/2017/359 दिनांक 11.07.2017

राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 14.07.2014 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में अन्तिम क्रेता के नाम नियमन (नियमितिकरण) किये जाने हेतु मण्डल के पत्र क्रमांक मुसप्र/2017/359 दिनांक 11.07.2017 द्वारा निर्देशित किया गया था किन्तु वृत्त/खण्ड कार्यालयों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं के साथ नियमन (नियमितिकरण) के विभिन्न चरणों में की जाने वाली कार्यवाही व कार्यक्रम निश्चित करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। ताकि प्रकरण में एक समान कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

अतः सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा आवंटित/विक्रीत स्थावर सम्पतियों का अमुद्रांकित/अपंजीकृत दस्तावेजो के आधार पर अन्तिम क्रेता के नाम नियमन (नियमितिकरण) संबंधित विभिन्न चरणों में की जाने वाली कार्यवाही, निम्नानुसार समयबद्व कार्यक्रम के तहत किया जाना सुनिश्चित करें :–

1.	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	08.09.2017 तक
2.	समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि	11.09.2017 तक
3.	आपत्ति प्राप्त करने की तिथि	18.09.2017 तक
4.	मांग पत्र जारी करने की तिथि	19.09.2017 तक
5.	मांग राशि जमा कराने तिथि	25.09.2017 तक
6.	नियमन आदेश जारी करने की तिथि	26.09.2017 तक
7.	पंजीयन हेतु विलेख पत्र जारी करने की तिथि	27.09.2017

उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार दिनांक 08.09.2017 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की चरणबद्व तिथियों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आक्षेप प्राप्त करने की अवधि में जांच व बकाया राशि की गणना आदि का कार्य पूर्ण कर लिया जावें। जिन प्रकरणों में आक्षेप प्राप्त नहीं होते है उन्हें दिनांक 25.09.2017 तक अनिवार्य रूप से मांग राशि जमा कराने का पत्र जारी किया जावें। आवश्यकता होने पर राजकीय अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रखें। साथ ही यह भी सुनिश्चत किया जावे कि राज्य सरकार द्वारा जिन प्रकरणो में अन्तिम तिथि 30.09.2017 निर्धारित की है उन्हें नियत तिथि तक निस्तारित कर दिया जावे। इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने पर संबंधित की जिम्मेदारी होगी।

उक्त आदेश को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय/सचिव/निदेशक (विधि)/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (जन सम्पर्क), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. रक्षित पत्रावली

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

D:\O.P. Mathur\Letter.Docx